

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1998  
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

पंप भंडारण परियोजनाओं का आरंभ

†1998. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार पिन्नापुरम और टिहरी की तरह पम्प स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) का समय पर आरंभ किया जाना किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है और संबंधित राज्यों के साथ भूमि तथा जल आवंटन के मुद्दों का समन्वय किस प्रकार कर रही है;

(ख) राज्यों से पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के लिए स्थानीय शुल्क हटाने का आग्रह करने के पीछे क्या कारण हैं और इसका अपेक्षित वित्तीय प्रभाव क्या होगा;

(ग) ऊर्जा भंडारण के लिए नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) पिछली स्वैच्छिक बाध्यताओं से किस प्रकार भिन्न होगी; और

(घ) क्या पंप स्टोरेज परियोजना ऊर्जा खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये इष्टतम मूल्य निर्धारण किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : सरकार ने पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) का समयबद्ध पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:

- विद्युत मंत्रालय ने पीएसपी के विकास को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2023 में दिशानिर्देश जारी किए थे। ये दिशानिर्देश पीएसपी साइटों के आवंटन, निःशुल्क विद्युत दायित्व छूट/स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि और समाप्त हो चुकी कोयला खानों के उपयोग आदि के विभिन्न तरीके प्रदान करते हैं।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और सहमति के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, सभी प्रकार के पीएसपी के लिए डीपीआर की सहमति की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर 50 दिन कर दी गई है। इसके अलावा, सीईए ने यह भी निर्धारित किया है कि पीएसपी के लिए अंतर-राज्य पहलुओं की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

- iii. सीईए ने एचईपी और पीएसपी की सर्वेक्षण और जांच (एसएंडआई) गतिविधियों की निगरानी के लिए "जल विद्युत डीपीआर" पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल, मूल्यांकन एजेंसियों और विकासकर्ताओं में कार्यप्रवाह और लंबित कार्यों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है जिससे देरी को प्रभावी ढंग से पहचानने और समाधान करने में मदद मिलती है।
- iv. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने दिनांक 18.05.2023 को, कुछ शर्तों के अध्यक्षीय बी2 श्रेणी के तहत पीएसपी का मूल्यांकन करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
- v. एमओईएफसीसी ने दिनांक 14.08.2023 को ऑफ स्ट्रीम पीएसपी से जुड़े प्रस्तावों के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तें (टीओआर) जारी की हैं, जिसमें ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पीएसपी के लिए एक मौसम (मानसून के अलावा) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह निर्धारित किया गया है और दो मौसमों (मानसून से पहले और मानसून के बाद) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह ऑफ स्ट्रीम ओपन लूप पीएसपी के लिए निर्धारित है।
- vi. एमओईएफसीसी ने अगस्त 2024 में, खनन परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण संबंधी प्रावधानों को हाइडल/पीएसपी सहित अन्य विकास परियोजनाओं तक बढ़ा दिया है।
- vii. एमओईएफसीसी ने दिनांक 10.09.2025 के पत्र के माध्यम से हाइडल सहित खनन और विकास परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए बोरहोल की संख्या में वृद्धि की है।
- viii. भारत सरकार ने दिनांक 01.08.2025 की अधिसूचना के माध्यम से, जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों की स्थापना से संबंधित योजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय सीमा को संशोधित कर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसके लिए सीईए की सहमति की आवश्यकता है। इसके अलावा, सरकार ने पूंजीगत व्यय की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पंप भंडारण स्कीमों को सीईए द्वारा सहमति की आवश्यकता से छूट दी है। तथापि, विकासकर्ता छूट प्राप्त श्रेणी के तहत परियोजनाओं के लिए सीईए से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

विकासकर्ताओं द्वारा संबंधित राज्य की नीतियों के अनुसार भूमि और जल आवंटन से संबंधित मुद्दों को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

**(ख) :** यह देखते हुए कि पीएसपी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं लेकिन ऊर्जा उपलब्धता के समय को स्थानांतरित करते हैं, राज्यों से किसी भी प्रकार के स्थानीय लेवी/प्रभारों को माफ करने और पीएसपी के लिए संग्रहीत ऊर्जा पर शुल्क माफ करने का आग्रह किया गया है। वास्तव में, वे अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। अधिक जड़ता और संतुलित विद्युत प्रदान करने के संदर्भ में ग्रिड स्थिरता के दृष्टिकोण से पीएसपी भी महत्वपूर्ण हैं।

**(ग) :** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित आरसीओ राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 27.09.2025 द्वारा नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) अधिसूचना दिनांकित 20.10.2023 को अधिक्रमित किया गया था। नवीकरणीय उपभोग बाध्यता अधिसूचना दिनांक 27.09.2025 के तहत ऊर्जा भंडारण के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसमें प्रावधान है कि नामित उपभोक्ता निर्दिष्ट नवीकरणीय उपभोग बाध्यता को नवीकरणीय विद्युत की खपत के माध्यम से या तो सीधे या ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।

**(घ) :** विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 06.02.2025 के संकल्प के माध्यम से "पंप भंडारण संयंत्रों से भंडारण क्षमता/संग्रहीत ऊर्जा की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश" जारी किए, जो [https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Guideline\\_for\\_procurement\\_of\\_storage\\_capacity\\_stored\\_energy\\_from\\_pumped\\_storage\\_plants\\_0.pdf](https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Guideline_for_procurement_of_storage_capacity_stored_energy_from_pumped_storage_plants_0.pdf) पर उपलब्ध हैं।